न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 536/2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार,पचपदरा

1. पुरखाराम पुत्र खरताराम
2. छोगाराम पुत्र खरताराम
3 गंगाराम पुत्र खरताराम
4 भूरीदेवी पत्नि खरताराम
5 पताराम पुत्र नथाराम
6 सुखाराम पुत्र सोनाराम
7 रावतराम पुत्र बीजाराम
8 अनोपाराम पुत्र बीजाराम
9 डूगरराम पुत्र बीजाराम
10 पेमी पत्नि बीजाराम
11 मोडाराम पुत्र भोमाराम
12 कालूराम पुत्र रामाराम
13 गोरधनराम पुत्र रामाराम
14 गोकलराम पुत्र रामाराम
15 पूनमाराम पुत्र रामाराम
16 वेहनाराम पुत्र धीराराम
17 गोपाराम पुत्र धीराराम
18 पुरखाराम पुत्र गोपाराम
19 बालाराम पुत्र गोपाराम
20 पोकरराम पुत्र वेनाराम
21 गणेशाराम पुत्र राणाराम
22 रूपाराम पुत्र राणाराम
23 मोहनराम पुत्र राणाराम
24 बाबूराम पुत्र किसनाराम
25 नारायणराम पुत्र किसनाराम
26 गोपाराम पुत्र किसनाराम
27 मांडू पत्नि किसनाराम
28 सरंपच ग्रम पंचायत कोरना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक 11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम , 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम वाडियो की ढाणी मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नही किया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8 2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता / डामरसडक मार्ग वाडियो की ढाणी के खसरा नंबर 686/579, 685/577, 570,572,578,582,583,584 मे चल रहा है।

अतः मौजा वाडियो की ढाणी के परालिया धामट से डूगर जोधपुर सीमा तक खसरा नंबर 686/577, 685/577,570,572,578,582,583,584 रकबा 1.03, 0.13,0.08,0.08,1.06,0.10, 1.00,0.13 बीगा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार क[illegible] का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलो[illegible] व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीक[illegible] करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर मौजा कीटनोद मे अवस्थित खसरा नंबर 283,282,281,261,262,818/272 रकबा 0.53, 1.07,0.96, 0.53, 3.20,0.74 बीगा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब'नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 11.2.2017 को सुनाया गया ।

(प्रभातीलाल जाट)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned by CamScanner